RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 954/2023

Sunil Kumar Son Of Shri Shrichand ,

----Appellant

Versus

Kamla Devi W/o Shri Ramphool Jat,

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. Kshitiz Sharma, Adv. for Mr. Anoop Pareek, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Chandra Shekhar, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

23/02/2026

आवेदन संख्या 1/24 व 2/24 पर दोनों पक्षों को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

वादग्रस्त संपत्ति के संबंध में प्रार्थी–वादी–अपीलार्थी अपने पक्ष में विक्रय अनुबंध होना अभिकथित करता है जबकि प्रत्यर्थीगण अलग अलग भाग में पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से इस संपत्ति के केता होकर मौके पर काबिज है। प्रार्थी–वादी–अपीलार्थी का आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी विचारण न्यायालय द्वारा अस्वीकार किया गया था जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत होने पर वादग्रस्त संपत्ति के संबंध में यथास्थिति बनाये रखने व संपत्ति अंतरित नहीं करने हेतु अंतरिम आदेश दिया गया था।

वर्तमान दोनों आवेदनों के माध्यम से प्रत्यर्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि वे संपत्ति पर काबिज है तथा संपत्ति के उपयोग के लिए बिजली कनेक्शन न्यूनतम आवश्यकता है, अपीलार्थी उनके कनेक्शन लेने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, अतः न्यायालय द्वारा अनुमति जारी की जावे।

दिनांक 01.05.2023 को जो अंतरिम आदेश पारित किया गया था उसके अनुसार प्रत्यर्थीगण द्वारा बिजली कनेक्शन लेने पर कोई रोक नहीं है।

RAJASTHAN HIGH COURT

दोनों आवेदन स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रत्यर्थीगण यदि चाहे तो नियमानुसार बिजली कनेक्शन अपनी संपत्ति पर प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है।

पत्रावली चार सप्ताह बाद न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

Murari Lal Sharma /60